सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,

जनपद–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी माया देवी पत्नी बबलू चौधरी ग्राम–खुटहना, थाना–खजनी, जनपद–गोरखपुर की निवासिनी है। प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री शीतल उम्र–15 वर्ष चम्पा देवी इण्टर कॉलेज से पढ़ कर घर आ रही थी कि रास्ते में आंगनबाणी केन्द्र के पास समय करीब–3:30 बजे शाम को गाँव का ही लड़का–रोहन विश्वकर्मा उम्र लगभग–20 वर्ष पुत्र अशोक कुमार प्रार्थी की पुत्री को पकड़ कर, उसके साथ छेड़खानीकरने लगा और उसके व्यक्तिगत अंगो को छूने लगा और उसका कपड़ा खींचने लगा। प्रार्थिनी की पुत्री भाग कर किसी का फोन लेकर अपनी बुआ के लड़के–अंकित को लेकर सूचना दी अंकित दौड़ कर घटना स्थल पर गया और रोहन विश्वकर्मा से ऐसा करने पर मना करने लगा तो रोहन विश्वकर्मा फोन करके विश्व प्रताप सिंह उर्फ अमन सिंह तथा रूद्र प्रताप सिंह, अनूप सिंह पुत्रगण शोहरत सिंह निवासी ग्राम–खुटहना उपरोक्त को बुला लिये। विश्व प्रताप सिंह उर्फ अमन सिंह, रूद्र प्रताप सिंह उर्फ अनूप सिंह तथा रोहन विश्वकर्मा अंकित को भद्दी–भद्दी गाली–गुफ्ता देते हुए कहने लगें कि क्या हुआ छेड़ दिया तो बलात्कार नहीं न किया है, भाग जाओ नही तो बहुत मारेंगे, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त तीनो लोग अंकित और प्रार्थिनी की पुत्री–शीतल को गाली–गुफ्ता देते हुए थप्पड़, मुक्का से मारने लगें। घटना देख कर बीच–बचाव करने गये अनन्तदीप सिंह उर्फ अंकुर पुत्र ज्ञान सिंह को भी उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी और भद्दी–भद्दी गाली–गुफ्ता देते हुए बुरी तरह से मारे–पीटें। आस–पास के लोग घटना को देखें और बीच–बचाव कियें तो थोड़ी देर बाद उपरोक्त विश्व प्रताप सिंह और रूद्र प्रताप सिंह पुलिस को लेकर प्रार्थिनी के घर आयें तो प्रार्थिनी ने सारी घटना बतायी परन्तु पुलिस, प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज करने से मना कर दी, उल्टे अंकित और अनन्तदीप सिंह को शान्ति भंग मे चालान कर दी पुलिस विश्व प्रताप सिंह और रूद्र प्रताप सिंह के प्रभाव में आकर एकतरफा कार्यवाही कर रही है।

उल्लेखनिय है कि विश्व प्रताप सिंह और रूद्र प्रताप सिंह राजनीतिक व्यक्ति है और सैकड़ों लोगों को लेकर थाना–खजनी परिसर में ही अंकित और अन्नतदीप सिंह के उपर हमलावर हो गये थें तथा दिनाँक–30.11.2023 को श्रीमान् एस०डी०एम० महोदय, के अदालत में ही सैकड़ों लोगों को लेकर तोड़–फोड़ किये थें और मारे–पीटे थें। प्रार्थिनी थाना–खजनी पर मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र दी थी तो अपराध करने वाले विश्व प्रताप सिंह और रूद्र प्रताप सिंह के प्रभाव में आकर पुलिस विश्व प्रताप सिंह के विरूद्ध मुकदमा लिखने से मना कर दी तथा थाना–खजनी की पुलिस द्वारा धमका कर अपराध का अल्पीकरण करते हुए स्वयं बोल कर अंकित चौधरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवा कर विश्व प्रताप सिंह व रूद्र प्रताप सिंह के स्थान पर निर्दोष दो लोग विवेक व अंकित को अभियुक्त बनाते हुए एफ०आई०आर० नं०–0444/2023 दर्ज किया है, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। अपराध कारित करने वाले रोहन विश्वकर्मा, विश्व प्रताप सिंह व रूद्र प्रताप सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अन्यथा उपरोक्त लोग प्रार्थिनी की पुत्री का जीवन बर्बाद कर देंगे।

अतः आप श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना–खजनी, गोरखपुर को आदेश देने की कृपा करें कि वह अपराध कारित करने वाले रोहन विश्वकर्मा, विश्व प्रताप सिंह व रूद्र प्रताप सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर, कार्यवाही करें।

दिनाँक – 05/12/2023

प्रार्थिनी

माया

(माया देवी)

पत्नी बबलू चौधरी

ग्राम–खुटहना, थाना–खजनी,

जनपद–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

मो०नं०–9026632876